कार्यालय : जिला एंव सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 10 / 2023 / 3114 **आदेश** दिनांक : 17 / 07 / 2026

इस न्यायक्षेत्र में पदस्थापित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग में कार्यरत श्री **अब्दुल शकील खान** को राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (रूल्स डिविजन) की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-IV datede 11-12- 2024, 10-03-2025 and स्पष्टीकरण 03.06.2025, 01-07-2025 Rajasthan Civil Services (Revised Pay) (Third Amendment) Rules, 2024 व मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के मार्ग–दर्शन पत्र क्रमांक 759 दिनांकित 14.08.2025 के अनुसरण में वेतन निर्धारित किया जाकर दिनांक 01.09.2024 से प्रभावी किये जाने से उक्त आदेशों के तहत पूर्व में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–II के आदेश क्रमांक 2976 दिनांक 25.08.2025 के द्वारा वेतन स्थिरीकरण किया गया था।

उपरोक्त पूर्व वेतनस्थिरीकरण आदेश को श्री **अब्दुल शकील खान की हद तक** राज्य सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र दिनांकित 05.05.2026 के अनुसरण लेखाशाखा द्वारा सेवाकाल में देय वेतरस्थिरीकरणों की जांच करने पर (वर्ष 2021 से 2025 तक वेतनवृद्वियां गलत होने के) आक्षेपों की पूर्ति के क्रम में दिनांक 01.09.2024 को पुनः वेतनस्थिरीकरण उनके नाम के आगे अंकित कॉलम संख्या 05 व 06 में दिनांक 01.09.2024 से एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित वेतन निर्धारण किया जाता हैः–

क.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम	दिनांक 01.09.2024 को विद्यमान वेतनमान		दिनांक 01.09.2024 को संशोधित वेतनमान		आगामी वेतनवृद्वि दिनांक
		पे–मैट्रिक्स लेवल	मूल वेतन	पे–मैट्रिक्स लेवल	मूल वेतन	
01	02	03	04	05	06	07
1.	श्री अब्दुल शकील खान, च.श्रे.क. न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम सं0–05, जयपुर महानगर–II	L-02	26300/-	L-3	26800	01.07.2025

01. उपरोक्त संशोधित वेतन निर्धारण के तहत वित्तीय लाभ दिनांक 01.09.2024 से देय होगा।
02. इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक स्था / 10 / 2023 / 2976 दिनांक 25.08.2025 को श्री **अब्दुल शकील खान** की हद तक उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है।
03. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारी की सेवारोल मे किया जावे।

–Sd–
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 10 / 2023 / 3115 दिनांक : 17 / 07 / 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर–द्वितीय(संलग्न सेवापुस्तिका)
04. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
05. संबंधित कर्मचारी।.
06. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली ।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय